न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00169

1. ग्यारसीलाल आयु 72 वर्ष आत्मज श्री गंगाराम जाति बैरवा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. गोबरी बाई पत्नी स्व0 श्री ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/2. रामदेव पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/3. फौरूलाल पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल जाति बैरवा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/4. गीता पुत्री स्व0 श्री ग्यारसीलला जाति बैरवा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 320 रकबा 11 बीघा 03

बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि दिनांक 18.06.1957 को गंगाराम आत्मज मोती बैरवा को आवंटित की गई थी । उक्त भूमि पर आवंटन के बाद से आवंटी गंगाराम निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । गंगाराम व उनकी पत्नी राधाबाई की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 254 दिनांक 11.05.1993 से वादी का नाम विरासत से दर्ज हुआ । वादी उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक अपने माता–पिता के जीवनकाल से काबिज चला आ रहा है । वादी वादग्रस्त आराजी का कानूनन खातेदार हो गया है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाये तथा राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी के अंकन को विलोपित करवाये ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड से गैर खातेदार अंकन विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड से अपीलान्ट का कब्जा भली–भांति प्रमाणित है जबकि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया फिर भी वाद वादीगण खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी वादी पर वादी कानूनन खातेदार हो चुका है । उक्त भूमि वादी के पूर्वजों को दिनांक 18.06.1957 को आवंटित हुई थी और उक्त आवंटन किसी भी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है । उक्त आवंटन बहाल है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का एक दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया गया था । वादग्रस्त आराजी वादी के गैर खातेदारी में दर्ज है । आराजी सन् 1957 में गंगाराम आत्मज मोती जाति बैरवा को आवंटित की थी । आवंटन के बाद इस आराजी पर गंगाराम जी निर्बाध कब्जा चला आ रहा था । गंगाराम जी और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वादी का नाम नामान्तरकरण संख्या 254 से वादग्रस्त आराजी में दर्ज किया गया । वादग्रस्त आराजी वादी के गैर खातेदारी में दर्ज है जिस पर वादी का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है । वादी की तरफ कोई भी राशि बाकी नहीं है । वादी कानूनन वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक बन चुका है । खातेदारी दर्ज करने का दायित्व राजस्व कर्मचारियों का था । वादी ने अपने दावे को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से पूर्णतया साबित किया था फिर भी दावा खारिज किया गया है। तहसीलदार के द्वारा आवंटन को निरस्त करने

का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसको दिनांक 12.07.2017 को स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.12.2018 को रिमाण्ड किया गया और दिनांक 30.05.2019 को ग्यारसी लाल का कब्जा प्रमाणित मानते हुए आवंटन को यथावत रखने का आदेश दिया है और प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है और अब वादी का दावा कब्जा प्रमाणित नहीं होने के आधार पर खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी लीज पर दी गई थी । लीज पर आराजी निर्धारित समयावधि के लिए दी जाती है और उनको खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 बहाल रखा जावे ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने रिबटल में कथन किया कि अपीलान्ट को गैर खातेदारी दी गई है । अपीलान्ट लीजधारक नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी की ओर से दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 प्रदर्श– 1 पेश की गई है जिसमें ग्यारसी लाल वादग्रस्त आराजी के गैर खातेदार दर्ज हैं । खसरा गिरदावरी संवत् 2073 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 प्रदर्श – 2 संलग्न है । नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 3 संलग्न है । खसरा गिरदावरी संवत् 2074 प्रदर्श– 4 पेश की गई है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू– 1 ग्यारसीलाल का शपथ पत्र, प्रताप का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–2 के रूप में, हजारी लाल का शपथ पत्र पीडब्ल्यू– 3 के रूप में पेश किये गये हैं परन्तु इन शपथ पत्रों को न्यायालय में उपस्थित होकर उनकी ताईद नहीं की गई है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार मौखिक साक्ष्य के लिए अनिवार्य है ।

12. वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी के बाबत् हक घोषणा का दावा यह कथन करते हुए पेश किया गया है कि वो इस आराजी के गैर खातेदार हैं उन्हें खातेदारी प्रदान की जावे । वादी के द्वारा जो शपथ पत्र पीडब्ल्यू– 1 के रूप में पेश किया गया है उसमें यह कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी मिसल संख्या 495 से दिनांक 18.06.1957 को लीज पर एलोट की गई थी । पत्रावली पर आवंटन आदेश की प्रति पेश नहीं की गई है जिसका अवलोकन किया जाना इस प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अनिवार्य है । आवंटन आदेश के अवलोकन से ही स्पष्ट होगा कि आवंटन किन नियमों के तहत किया गया है व उन नियमों के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के बारे में क्या प्रावधान हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा जो शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किये गये हैं उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है जो सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2020 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए वादी अपीलान्ट से आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पेश किये गये शपथ पत्रों के गवाहान को न्यायालय में तलब कर उनसे शपथ पत्रों की ताईद करवाकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा